25/11/19 - पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण व पेश
आये आदेश सुनाया गया प्रार्थीगण को
तौर पर आपसी विभाजन स्वीकार किया
जाता है विरुद्ध निर्णय प्रपत्र के नियम जाकर
शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 05/2019

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 23/01/2019

निर्णय दिनांक : 05/11/2019

1. अर्जुन पुत्र हरनाथ, जाति बागरिया, निवासी माल की ढाणी, दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. भूली पत्नी हरनाथ, जाति बागरिया, निवासी माल की ढाणी, दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. मोतीलाल पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. रमेशचन्द पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
4. मुकेश पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
5. राकेश पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
6. सुमित्रा बेन उर्फ सुशीला पुत्री कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
7. तहसीलदार तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

——— अप्रार्थीगण

—— प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ——

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
श्री संजय सिंह सिरोही
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 ता.6

अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

– निर्णय –

निर्णय दिनांक 25/11/2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण आपस में पुत्र एवं माता हैं। वर्तमान आराजी खतौनी संख्या 87 के आराजी खसरा नम्बर 3773 रकबा 1.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3779 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3780 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3781 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3782 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 2.2100 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 1525 मिन रकबा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1526 मिन रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1528 मिन रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1528 मिन रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1528 मिन रकबा 0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण की पुश्तनी आराजी खतौनी संख्या 814 के आराजी खसरा नम्बर 1525 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1526 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1528 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर जो स्व0 हरनाथ पुत्र जगनाथ जाति बागरिया निवासी दूदू के नाम से दर्ज रही है। स्व0 हरनाथ ने अप्रार्थीगण के पिता स्व0 कुन्दनमल को विकय पत्र दिनांक 12.10.77 को जरिये खसरा नम्बर 1525 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1526 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा का 3000/– रूपये रोकडी प्राप्त कर विकय कर दिया ाऔर मौके पर कब्जा संभला दिया। सम्पूर्ण आराजी का विकय कर दिया दर्ज नही किया है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का विकय पत्र नही बनवाया गया था लेकिन पटवार हल्का द्वारा विकय पत्र दिनांक 12.10.77 के आधार पर नामांतकरण संख्या 1057 के अंकन करते समय खसरा नम्बर 1525, 1526, 1528 तीनो खसरा नम्बर दर्ज कर दिये गये। और राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में अंकन कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता अनपढ गरीब व्यक्ति था जो राजस्व रिकार्ड में नही समझता था और न ही प्रार्थीगण ही पढे लिखे है इसलिए आज तक अपनी आराजी के राजस्व रिकार्ड बाबत अनभिज्ञ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण ने जब अपनी आराजी पर ऋण लेना चाहा तो पटवार हल्का के पास जाकर दिनांक 15.01.19 को मालुम किया तो पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के नाम कोई राजस्व रिकार्ड में आराजी नही होना जाहिर किया और बताया कि अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण की पुश्तैनी शेष बची आराजी अप्रार्थीगण के नाम से ही चली आ रही है जबकि प्रार्थीगण को आराजी में से केवल दो खसरा नम्बर विक्रय करने की जानकारी थी और स्व0 हरनाथ ने केवल दो ही खसरा नम्बर 1525, 1526 का विक्रय पत्र बनवाया था और उसके सम्पूर्ण आराजी का विक्रय पत्र नही बनवाया था। स्व0 कुन्दनमल ने गलत रूप से खसरा नम्बर 1525, 1526 के साथ 1528 का नामांतकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया और विक्रय पत्र की आड में प्रार्थीगण की आराजी को हडपने के लिए फर्जी रिकार्ड तैयार करवा लिया। स्व0 कुन्दनमल के फौत होने पर विरासत का नमांतकरण संख्या 1939 दिनांक 19.12.17 को जरिये अप्रार्थीगण के नाम से वर्तमान का इन्द्राज चला आ रहा है जिसके बने रहने से प्रार्थीगण को काफी सख्त हकतलफी है प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी आराजी से वंचित हो गये है आराजी से किसी प्रकार की सरकारी सुविधा प्राप्त नही कर सकते है। अप्रार्थीगण अपने नाम से दर्ज आराजी के आधार पर जबरन बेदखल करने पर उतारू हो गये है। प्रार्थीगण को स्व0 कुन्दनमल जीवित रहा जब तक किसी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नही की गयी क्योकि स्व0 कुन्दनमल को अपने द्वारा की गयी फर्जकारी की जानकारी थी इसलिए प्रार्थीगण के कब्जे में व्यवधान नही किया। और स्व0 कुन्दनमल के विरासत का नामांतकरण भरने के पश्चात अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा उनके नाम है इसलिए कब्जे से महरूम करेंगे एवं कब्जा नही छोडने पर आराजी को अन्य व्यक्ति को बैचान कर देंगे। अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल की धमकी देने पर प्रार्थीगण ने पटवार हल्का के पास दिनांक 15.01.19 को जाकर मालुम किया तो विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुयी जिससे यह वाद विरूद्व प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण पेश किया जाना लाजिमी हुआ है। प्रार्थीगण के विरूद्व अप्रार्थीगण के नाम से चला आ रहा इन्द्राज कानूनन निरस्तनीय है क्योकि स्व0 हरनाथ द्वारा स्व0 कुन्दनमल जो अप्रार्थीगण का पिता रहा है को प्रार्थीगण के पिता स्व0 हरनाथ ने आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का विक्रय नही किया न ही उक्त आराजी का विक्रय पत्र में अंकन नही है। न ही मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा ही रहा है। प्रार्थीगण को गलत इन्द्राज से अप्रार्थीगण बेदखल करने पर आमादा है जिसके लिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज चली आ रही आराजी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

साबिक खसरा नम्बर 1528 वर्तमान खसरा नम्बर 3779, 3780, 3781, 3782 कुल किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू की प्रार्थीगण अपने नाम से कानूनन घोषणा करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण पेश करना लाजिमी हुआ है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 3779, 3780, 3781, 3782 कुल किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करे न स्वयं करे न अन्य से करावे। न विवादित आराजीयात को विकय, रहन, मुन्तकिल करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 04/09/2019 को अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी संख्या 87, मिलान क्षैत्रफल, फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 1057, फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 1051, फोटो प्रति विकय–पत्र दिनांक 12/10/1977 वाके ग्राम दूदू एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का गहनता से अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि हाल जमाबन्दी खाता संख्या 87 के खसरा नम्बर 3773, 3779, 3779, 3780, 3781, 3782 में खातेदारी ना0स0 1939 के द्वारा कुन्दन की विरासत अप्रार्थीगण कैलाशचन्द, मोतीलाल, रमेशचन्द, मुकेश, राकेश पि0 कुन्दनमल, सुमित्रा बेन उर्फ सुशीला के नाम से दर्ज है, उक्त हाल खसरा नम्बर 3773, 3779, 3779, 3780, 3781, 3782 के साबिक खसरा नम्बर 1525, 1526, 1528 है, जो मिलान क्षैत्रफल से साबित हैं। विकय–पत्र दिनांक 12/10/1977 की फोटो प्रति के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1525, 1526 का ही बैचान प्रार्थीगण के पिता हरनाथ पुत्र जगन्नाथ कौम बागरिया के द्वारा अप्रार्थीगण के पिता कुन्दनमल को किया

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

जाना पाया जाता है, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया गया कि खसरा नम्बर 1525, 1526 के साथ–साथ 1528 का भी विक्रय–पत्र दिनाक 12/10/1977 के द्वारा बैचान किया गया है, चूंकि दोनों पक्षों के मध्य विक्रय की गयी आराजी को लेकर विरोधाभास है तथा अभी न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट नही हो पायी है कि वास्तव मे किन खसरा नम्बरान का बैचान किया गया है तथा अब तक न्यायालय के समक्ष मूल विक्रय–पत्र भी पेश नही हुआ है, जिससे यह स्पष्ट स्पष्ट हो सके कि वास्तव में किन खसरा नम्बरान का बैचान किया गया हैं। इसलिये उक्त स्थिति मूल वाद के निस्तारण के वक्त तय होनी है, लेकिन चूंकि आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिये अप्रार्थीगण दौराने वाद आराजीयात को हस्तान्तरण कर सकते है, इसलिये न्यायहित में यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही हो एवं राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार से फेरबदल नही हो, इसलिये न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं, इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है, जिनको प्रार्थीगण ने बखूबी साबित किया है, ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाना उचित समझती हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3779, 3780, 3781, 3782 कुल किता 04 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम दूदू, तहसील दूदू में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा विवादित आराजीयात को रहन, बेय, हस्तान्तरण नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner